

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

नं.- 48/22 (TI)

कैलाशचन्द बनाम सुक्या वगैरह

कस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील में जारी हुए

15.5.24

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मिसल तलवी एवं विद्वा पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं स्वयं प्रार्थी उपस्थित। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाने एवं विद्वा करने के कारण खारिज हो चुका है। इस प्रार्थना पत्र का अब आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 07.07.2022 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त (Vacate) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर(दौसा)

